

लोक-सुनवाई का वृत्त

मेसर्स अजीत कुमार सिंह, प्रस्तावक, श्री अजीत कुमार सिंह, पिता—श्री गोबर्धन प्रसाद सिंह, ग्राम—नारोडीह, पो०—चकाई, जिला—जमुई के द्वारा उलाई नदी ब्लॉक—०७ बालू घाट, मौजा—तेगुआ, प्रखंड—जमुई, जिला—जमुई में बालू खनन योजना का पर्यावरणीय स्वीकृति के उद्देश्य से लोक-सुनवाई पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०— एस. ओ. 1553, पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार के अधिसूचना सं०— एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के आलोक में दिनांक 17.08.2023 को अपराह्न 03:00 बजे प्रखंड सभागार जमुई, जिला—जमुई के प्रांगण में लोक सुनवाई आयोजित की गयी।

यह लोक सुनवाई पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना सं०— एस. ओ. 1553, दिनांक 14 सितम्बर 2006 के तहत राज्य स्तरीय पर्यावरण समाधात निर्धारण प्राधिकरण, बिहार द्वारा निर्गत टी०ओ०आर० (पर्यावरण विचारों) पत्र संख्या— SIA/1(a)/2386/2023, दिनांक 11.05.2023 के आलोक में रामदुलार राम, अपर समाहर्ता—सह—जिला लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी, जमुई की अध्यक्षता में की गयी। उपस्थिति पंजी संलग्न (अनुलग्नक—१)

प्रसंगाधीन लोक-सुनवाई की सूचना पर्षद द्वारा दैनिक समाचार पत्रों यथा—“दैनिक जागरण” एवं “दैनिक भास्कर”, भागलपुर संस्करण के माध्यम से दिनांक 15.07.2023 को प्रकाशित की गयी है एवं “प्रतिलिपि संलग्न”。 लोक सुनवाई के दौरान एस० एन० झा, क्षेत्रीय पदाधिकारी, बिहार राज्य प्रदूषण नियंत्रण पर्षद, भागलपुर के द्वारा लोक सुनवाई में उपस्थित सभी जन समुदाय, खनन पट्टाधारक एवं पदाधिकारीगण का स्वागत करते हुए पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन अधिसूचना, 2006 के तहत इकाई के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु लोक सुनवाई की आवश्यकता पर प्रकाश डाला गया।

अपर समाहर्ता के द्वारा उपस्थित लोगों को लोक-सुनवाई के उद्देश्य से अवगत कराया गया तथा लोगों से इस योजना से संबंधित पर्यावरण के मुद्दों पर सुझाव/आपत्ति दर्ज कराने हेतु अनुरोध किया गया।

तदोपरांत परियोजना के पर्यावरणीय सलाहकार श्री राजेश कुमार विश्वास ने प्रस्तावित बालू खनन योजना का परिचय, उत्पादन प्रक्रिया, प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था एवं सोशल पर्यावरण रेस्पॉन्सिविलिटी आदि के संबंध में अवगत कराया। इनके द्वारा सूचित किया गया कि—

1. यह बालू खनन पट्टा उलाई नदी ब्लॉक—०७ बालू घाट, मौजा—तेगुआ, प्रखंड—जमुई, जिला—जमुई में प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री अजीत कुमार सिंह को इस प्रस्तावित है। बिहार सरकार के खान एवं भूतत्व विभाग के द्वारा श्री अजीत कुमार सिंह को इस खनन पट्टा के लिए सैद्धांतिक स्वीकृत आदेश (L.O.I.) निर्गत किया गया है। इस खनन पट्टा ब्लॉक—०७ में 13.3 हेक्टेयर क्षेत्रफल में प्रतिवर्ष 165984 टन बालू का खनन प्रस्तावित है। इस सर्वेक्षण रिपोर्ट में बालूघाट के ब्लॉक संख्या—०७ को सम्मिलित किया गया है।
2. बालू खनन, खनन पट्टा के सीमा के अंदर “वैज्ञानिक विधि” तथा अनुमोदित “खनन योजना” के अनुसार किया जाएगा तथा इस योजना के कार्य के क्रियान्वयन से पर्यावरण पर पड़ने वाले दुष्प्रभावों के नियंत्रण के लिए विशेष उपाय पर्यावरण प्रभाव मुल्यांकन प्रतिवेदन में दर्शाएं गए हैं।

3. खनन में ड्रिलिंग, ब्लास्टिंग का प्रयोग नहीं किया जायेगा। खनन कार्य अद्वैत-मशीनीकरण व्यवस्था के साथ किया जायेगा जिसमें यांत्रिक उपकरणों के साथ मानव संसाधन का भी उपयोग किया जायेगा। बरसात एवं बाढ़ की अवधि में खनन नहीं किया जायेगा। जल प्रवाह वाले क्षेत्र में खनन कार्य नहीं किया जायेगा। केवल सूखे स्थल पर ही खनन की कारबाई की जायेगी।
4. प्रस्तावित बालू खनन क्षेत्र के चारों ओर सुरक्षा क्षेत्र छोड़ा जाएगा जिससे नदी तट को कोई नुकसान नहीं हो। खनन का कार्य केवल 1 मीटर तक की गहराई अथवा भूगर्भीय जल सतह के ऊपर तक ही सीमित रहेगा।
5. खनन क्षेत्र में वाहनों के आवागमन हेतु अस्थायी व वैकल्पिक मार्ग का निर्माण ग्रामवासियों से परामर्श लेकर तथा सहमति बनाकर किया जाएगा। बालू को तिरपाल से ढक कर ले जाया जायेगा तथा किसी भी परिस्थिति में ओवर-लोडिंग नहीं किया जायेगा। इस मार्ग के रख-रखाव का दायित्व परियोजना प्रस्तावक का होगा।
6. खनन परियोजना के क्रियान्वयन से पूर्व सभी संवेदनशील स्थानों पर जैसे— मार्गों खनन क्षेत्र इत्यादि पर चेतावनी/सावधानी सूचना पट्ट लगाए जाएंगे तथा आकस्मिक आपदा की स्थिति से निपटने के लिए आवश्यक सेवाओं के सूचना/मोबाइल नम्बर उल्लिखित किए जाएंगे।
7. प्रस्तावित परियोजना में वृक्षारोपण का प्रावधान किया गया है जो ग्रामीणों के परामर्श पर उपलब्ध भूमि, मार्गों के दोनों ओर एवं ग्राम के मध्य लगाए जाएंगे। इन पौधों की देखभाल अगले पाँच वर्षों तक परियोजना प्रस्तावक के द्वारा की जाएगी।
8. खनन क्षेत्र व निकटवर्ती गाँव के मध्य सघन वृक्षारोपण से ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित किया जा सकेगा। ध्वनि प्रदूषण को मानकों के अनुरूप बनाए रखने के लिए रात्रि में वाहनों द्वारा ध्वनि यंत्रों (Horn) का न्यूनतम प्रयोग किया जाएगा। उच्च दवाब वाले ध्वनि यंत्रों (High Pressure Horn) का उपयोग करने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेष वर्जित रहेगा। इसके साथ ही रात्रि के समय खनन प्रक्रिया पूरी तरह बन्द रहेगी तथा एकत्र खनिज को ही निर्गत किया जाएगा।
9. खनन कार्य व खनिज के परिवहन से उत्पन्न धूल कणों के नियंत्रण हेतु प्रतिदिन तीन बार जल का छिड़काव किया जाएगा। खदान से निर्गत बालू को तिरपाल से ढक कर निर्गत किया जाएगा। सरकार द्वारा अनुमोदित खनिज को खदान से 300 मीटर की दूरी पर एकत्र कर वहां से निर्गत करने से खनिज से रिसने वाला जल मार्गों को जलमग्न नहीं होने देना खनिज में उपलब्ध नहीं से धूलकणों के उत्सर्जन का नियंत्रण हो सकेगा।
10. खनन क्षेत्र में प्रदूषण मानकों का पालन करने वाले वाहनों (PUC धारक) का उपयोग किया जाएगा तथा इसका रिकार्ड रखा जाएगा। खनन क्षेत्र में आवागमन करने वाले वाहनों की गति सीमा निर्धारित होगी तथा तेज गति से चलने वाले वाहनों का खनन क्षेत्र में प्रवेश वर्जित रहेगा।
11. प्रस्तावित परियोजना के अन्तर्गत पर्यावरण सुरक्षा की दृष्टि से एक प्रबन्धन प्रकोष्ठ बनाया जाएगा जो सभी प्रकार की व्यवस्था का अनुपालन सुनिश्चित करेगा व समय-समय पर ग्रामवासियों से इसकी जानकारी एवं सुझाव प्राप्त करेगा।

परियोजना प्रस्तुतिकरण के पश्चात् उपस्थित लोगों के द्वारा सुझाव/मंतव्य दिए गए जो निम्नवत् हैं-

क्रमांक	प्रतिक्रिया / सुझाव	प्रस्तावक के जवाब
1.	<p>श्री धनंजय कुमार पाठक, मुखिया तेगुआ पंचायत के द्वारा परियोजना का समर्थन करते हुए निम्न प्रश्न पुछे गये-</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. परियोजना हेतु लोक-सुनवाई की सूचना कैसे दी जाती है। 2. प्रस्तावित परियोजना में सामाजिक कल्याण हेतु किस प्रकार से कार्य किया जायेगा। 3. खनन कब से शुरू होगा। 	<p>प्रस्तावित परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु प्रस्तावित लोक-सुनवाई के आयोजन की सूचना यथा तिथि एवं स्थल सहित स्थानीय दैनिक समाचार पत्रों के माध्यम से 1 माह पूर्व विज्ञापन के द्वारा दी जाती है।</p> <p>प्रस्तावित परियोजना में सामाजिक पर्यावरणीय दायित्व के अंतर्गत परियोजना राशि का 2 प्रतिशत ग्रामीणों एवं ग्राम पंचायत के सदस्यों से विमर्श कर गांव के विकास के लिए खर्च किया जायेगा। मानसून समाप्ति एवं पर्यावरणीय स्वीकृति के पश्चात खनन कार्य शुरू करने का प्रस्ताव है।</p>
2.	<p>श्री जुदागी कुमार, जमुई के द्वारा बालू लदे गाड़ियों के परिवहन से धूलकण की समस्या के निदान की जानकारी मांगी गई।</p>	<p>गाड़ियों के आवागमन में उपयोग होने वाले सड़कों पर दिन में 2 बार जल का छिड़काव किया जायेगा। गाड़ियों को तारपोलिन शीट से ढककर ले जाया जायेगा तथा ओवरलोडिंग नहीं किया जायेगा। सड़क के दोनों किनारों पर वृक्षारोपण किया जायेगा।</p>

लोक-सुनवाई के समापन में अपर समाहर्ता-सह-सभा के अध्यक्ष के द्वारा बताया गया कि बालू का संवेदनशील तरीके से उपयोग किया जाना आवश्यक है। इसके अत्यधिक दोहन से पर्यावरण को काफी नुकसान होने से इन्कार नहीं किया जा सकता है। इसका नियमानुसार उपयोग करने से स्थानीय एवं राज्य स्तर को भी आर्थिक लाभ होता है। पर्यावरण प्रदूषण को नियंत्रण हेतु उपाय सुझाए गए हैं। इसका क्रियान्वयन की निगरानी आपके स्तर से होनी चाहिए एवं आवश्यकता पड़ने पर इसकी सूचना जिला प्रशासन को शीघ्र देने पर व्यवस्था को नियंत्रित किया जा सकेगा। अध्यक्ष महोदय के द्वारा उपस्थित जनता को सुनवाई में शामिल होकर अपने सुझाव एवं शिकायत से अवगत कराने के लिए आभार व्यक्त किया गया तथा बताया गया कि प्राप्त सुझाव एवं प्रश्न प्रासंगिक एवं महत्वपूर्ण हैं। इनसे प्रस्तावित परियोजना का बेहतर तरीके से क्रियान्वयन करने में मदद मिलेगी। बैठक में उपस्थित जनता से प्राप्त सुझाव/शिकायत से उच्च अधिकारियों को अवगत कराया जायेगा, जिससे प्रस्तावित परियोजना विधिसम्मत तरीके से चल सके तथा ग्रामीणों को इस परियोजना का समुचित लाभ प्राप्त हो।

8

लोक-सुनवाई के अंत में, उपरिथित जनता के द्वारा सर्वसम्मति से प्रस्तावित बालू घाट के खनन परियोजना को शीघ्र प्रारंभ करने के लिए सक्षम प्राधिकार को अनुशंसा करने का निर्णय लिया गया। तत्पश्चात् लोक-सुनवाई सधन्यवाद समाप्त करने की घोषणा की गयी।

Hawali
12-8-2023

क्षेत्रीय प्राधिकारी
बिरामपुरानीपर्वद,
भागलपुर।

A 12/8/23
अपर समाहता
जमुई।

उपस्थिति सूची

मेसर्स अजीत कुमार सिंह, श्री अजीत कुमार सिंह, पिता-श्री गोबर्धन प्रसाद सिंह, ग्राम-नारोडीह, पो०-चकाई, जिला-जमुई द्वारा उलाई नदी ब्लॉक-०७ बालू घाट, मौजा-तेगुआ, ब्लॉक-जमुई, जिला-जमुई का बालू खनन परियोजना के पर्यावरणीय स्वीकृति हेतु दिनांक 17.08.2023 को अपराह्न ०३:०० बजे लोक सुनवाई का स्थल: प्रखंड सभागार जमुई, जिला- जमुई में आयोजित लोक सुनवाई के दौरान उपस्थित व्यक्तियों की सूची:

क्र०सं०	नाम	पता	हस्ताक्षर
1.	Ram Kular Ram	Adon (P.S.R) Cem A.P.R.D.O. Jammui	17/8/23
2.	Shambhu Nath Hs	Regional officer Bihar PSC Bihar State Poll. Control Board	Shambhu 17-8-2023
3.	Shubham Hs	Lokayukta 27/3	22-17/8/2023
4.	S. P. Hs.	Mines Inspector Jamui	S. P. Hs. 17/08/2023
5.	Anish Kumar	Asst. Scientific Officer BSPCB, Bhagalpur	Anish 17/08/2023
6.	fajesh Kumar vishwas	Environmental Consultant PGM Solution, Noida.	Fajesh
7.	Ajeet Kumar Sir	नारोडीह चकाई जगठ	Ajeet Kumar
8.	Sajay kumar	जगठ	Sajay
9.	Kanishka Kumar	Jamui	Kanishka
10.	Sukhdev	Jamui	Sukhdev
11.	Veeru Kumar	Jamui	Veeru

12.	Dipak Yadav	the gu a	Dipak Yadav
13.	दिपाक यादव	देवता	दिपाक यादव
14.	जेरो	देवता	जेरो
15.	राम अंशुरी	देवता	बौद्धम अंशुरी
16.	मीठ सद्गुरु अंशुरी	देवता	मीठ सद्गुरु अंशुरी
17.	मीठ मानुष अंशुरी	देवता	मीठ मानुष अंशुरी
18.	लोकन नाथ	देवता	Lokanath yadav
19.	राधिलाल चारवा	देवता	Rahilal Yadav
20.	प्रियंक गुर्जर	देवता	Priyank Gurjar
21.	प्रियंक गुर्जर	देवता	Priyank Gurjar
22.	प्रियंक कुमार	देवता	Priyank Kumar
23.	आदित राजनी	देवता	आदित राजनी
24.	निलगुरु	देवता	Dev?
25.	Gopan Kumar	JAMVI	Dev
26.	Om Kumar	JAMVI	Dev

12.	Dipak Yadav	the gu a	Dipak Yadav
13.	दिपाक यादव	देवता	दिपाक यादव
14.	जेरो	देवता	जेरो
15.	राम अंशुरी	देवता	राम अंशुरी
16.	मीठ सद्धाम अंशुरी	देवता	मीठ सद्धाम अंशुरी
17.	मीठ मानुष अंशुरी	देवता	मीठ मानुष अंशुरी
18.	लोकेश भाटा	देवता	Lokesh Yachet
19.	राधिला चाठवा	देवता	Radhila Chathava
20.	प्रियंका गुर्जर	देवता	Priyanka Gurjar
21.	प्रियंका गुर्जर	देवता	Priyanka Gurjar
22.	प्रियंका कुमार	देवता	Priyanka Kumar
23.	अंजलि डिस्ट्री	देवता	अंजलि डिस्ट्री
24.	अंजलि डिस्ट्री	देवता	Angeli?
25.	ब्रह्म कुमा	JAMVI	Brahm
26.	Om Kumar	JAMVI	Om

27.	HTEG 5712	135311	318
28.	5712/3712	135312	312
29.	Md Shamim	BSPCB, Padha	SLI
30.	5712/3712	135312	312
31.			
32.			
33.			
34.			
35.			
36.			
37.			
38.			
39.			
40.			
41.			